173

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,बेन्च जबलपुर मप्र.

राजस्व पुनरीक्षण कमांक :   /16–17

पुनरीक्षणकर्ता : 1. रामराज यादव उम्र 58 वर्ष वल्द स्व.रामलाल यादव
2. पप्पू यादव उम्र 38 वर्ष वल्द हरप्रसाद यादव
दोनो नि. ग्राम छत्तरपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र.

विरूद्ध I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6107

प्रत्यर्थी उत्तरवादी : दालचन्द यादव उम्र करीब 65 वर्ष,
नि. : ग्राम छत्तरपुर तहसील पनागर,जिला– जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959.

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा तहसीलदार पनागर, जिला जबलपुर के रा.प्र.क. 75/अ–12/2014–15 पक्षकार दालचन्द यादव विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 16.02.2017 से दुःखित होकर यह राजस्व पुनरीक्षण अधोलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निर्भर होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, उत्तरवादी ने मौजा छत्तरपुर प.ह.नं.12/32 रानिमं व तहसील पनागर जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 381, 383 रकबा 0.29, 0.31 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन श्रीमान् तहसीलदार पनागर के आदेशानुसार किया गया है।

2. यह कि, सीमांकन संपादित किये जाने के दौरान हल्का पटवारी ने स्थल पंचनामा एवं सर्वे सीमांकन प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि स्थाई सीमाचिन्ह को आधार मानकर मौका पजेशन मशीन द्वारा लिया गया व पटवारी नक्शा सीट से मिलान कर मौके पर आवेदक के समक्ष चिन्हित कर सीमांकन किया गया है।

3. यह कि, सीमांकन उपस्थित आवेदक पडौसी कृषक एवं ग्राम कोटवार को नियत तिथि पर सूचना तामीली के पश्चात किया गया।

पुनरीक्षण के आधार

4. यह कि, संदर्भित सीमांकन दिनांक 16.02.17 के पूर्व सरहदी खातेदारों, हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना तामील किया जाना था, जो नहीं की गई है।

5. यह कि, अनावेदक के द्वारा, आपत्ति दर्ज कराये जाने के उपरांत भी पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा मौखिक एवं दिनांक 17.02.2017 को लिखित रूप में दर्ज कराई गई सीमांकन पर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है, अनावेदक के पूर्वजों के समय से कृशि कर कब्जे में बनी भूमि, जिसपर 70–80 वर्ष पुराने आम, इमली, पीपल इत्यादि के वृक्षों की बाड़ लगी है, सीमांकन दल के द्वारा अनावेदक को सूचना दिये बिना ही नाप दिया गया है, और उत्तरवादी, 44 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त, दिनांक 16 फरवरी 2017 के कराये गये सीमांकन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को उनके 100 वर्ष से भी अधिक समय

रामराज

SURANDRA KUMAR KHARE
S. K. KHARE
OATH COMMISSIONER

23 NOV 2017

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2017/6107

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25 /02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. पनागर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी पनागर</u>**	